

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1454 / एफ-7-118 / 31 / एस-2 / 2019,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 30/03/2020

मुख्य अभियंता,  
हसदेव गंगा कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय:- बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड- कुसमी की दर्रीटोला जलाशय योजना के स्लूस वेल तथा नहर मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-237 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2019 / 15371, दिनांक 02.12.2019

—00—

- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 367 / सी-28269 / 11 / वित्त / नियम / चार / रायपुर दिनांक 11.11.2011 द्वारा जारी वित्त निर्देश 50 / 2011 के तहत वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 के स.क्र. 88 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड- कुसमी की दर्रीटोला जलाशय योजना के स्लूस वेल तथा नहर मरम्मत कार्य हेतु लागत राशि रु.55.06 लाख (रुपये पचपन लाख छः हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।
2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता (157.59 हेक्टेयर) में 79.59 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
  3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
  4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
  5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना लेखाशीर्ष- 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही-जल, 0102, अनुसूचित जनजाति उपयोजना(3828) लघु सिंचाई योजना #97 निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
  6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
  7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
  8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( याकुब खैर )

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


जल संसाधन विभाग

पृ. क्र. 1454-A / एफ-7-118 / 31 / एस-2 / 2019,

अटल नगर, दिनांक 30/03/2020

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिहावा भवन परिसर, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)।
- 13 अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा(छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।

  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग